रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270485
CG-DL-E-25022026-270485

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947
No. 136]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.136.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “मूल विनियम” कहा गया है) के विनियम 35 के उप-विनियम (3) में, “कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम 2017” शब्दों के स्थान पर “बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से यथा-अधिसूचित ऐसे मूल्यांकन मानकों” शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल विनियम के विनियम 35 में, उप-विनियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित प्ररूप के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ रखेगा ।"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./713/2025-26]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 03, तारीख 2 जनवरी, 2026 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी. एन./आर.ई.जी.134, तारीख 2 जनवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियमन, 2026 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG136.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 35, in sub-regulation (3), for the words "Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017", the words "such valuation standards as notified by the Board through circular" shall be substituted.

3. In the principal regulations, in regulation 35, after sub-regulation (7), the following shall be inserted, namely:-

"(8) For the purposes of this regulation, a registered valuer shall prepare the valuation report and maintain such documentation as per the format notified by the Board through circular."

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./713/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016- 17/GN/REG005, dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG134, dated the 2nd January, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.03 on 2nd January, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.25 22:47:15 +05'30'